T.O./C.T.O.
Lucknow Collectorate

(174)

दस्तावेज लेखक
रजिस्ट्री-लखनऊ

श्रीवास्तव
दस्तावेज लेखक
रजिस्ट्री-लखनऊ

बिक्रय मूल्य	रु0	75,000=00
बाजारु मूल्य	रु0	94,023=44
स्टाम्प	रु0	9,500=00
परगना		ल ख न ऊ

::-- बिक्रयपत्र --::

मैं मोहम्मद नईम पुत्र श्री रशीद अहमद, निवासी मुकारिमनगर बरवलिया, डालीगंज, शहर लखनऊ बहैसियत सचिव, न्यू आजाद सहकारी आवास समिति लि0, लखनऊ निबंधन संख्या-257, स्थित मुकारिमनगर, बरवलिया, शहर लखनऊ का हूँ ।

केन्द्रीय कारागार, ...

दिनांक ....

ग्राम .... मनरल स्थान

बाप ....

द्वारा ....

... / हस्ताक्षर ... गोच पेसिया

.... जेल प्रा ...

1/11/2000

... को प्रस्तुत ...

... निवासी ...

... के निवास ...

... है।

... निर० ... (तृतीय)

... लेखक

4/11/2000

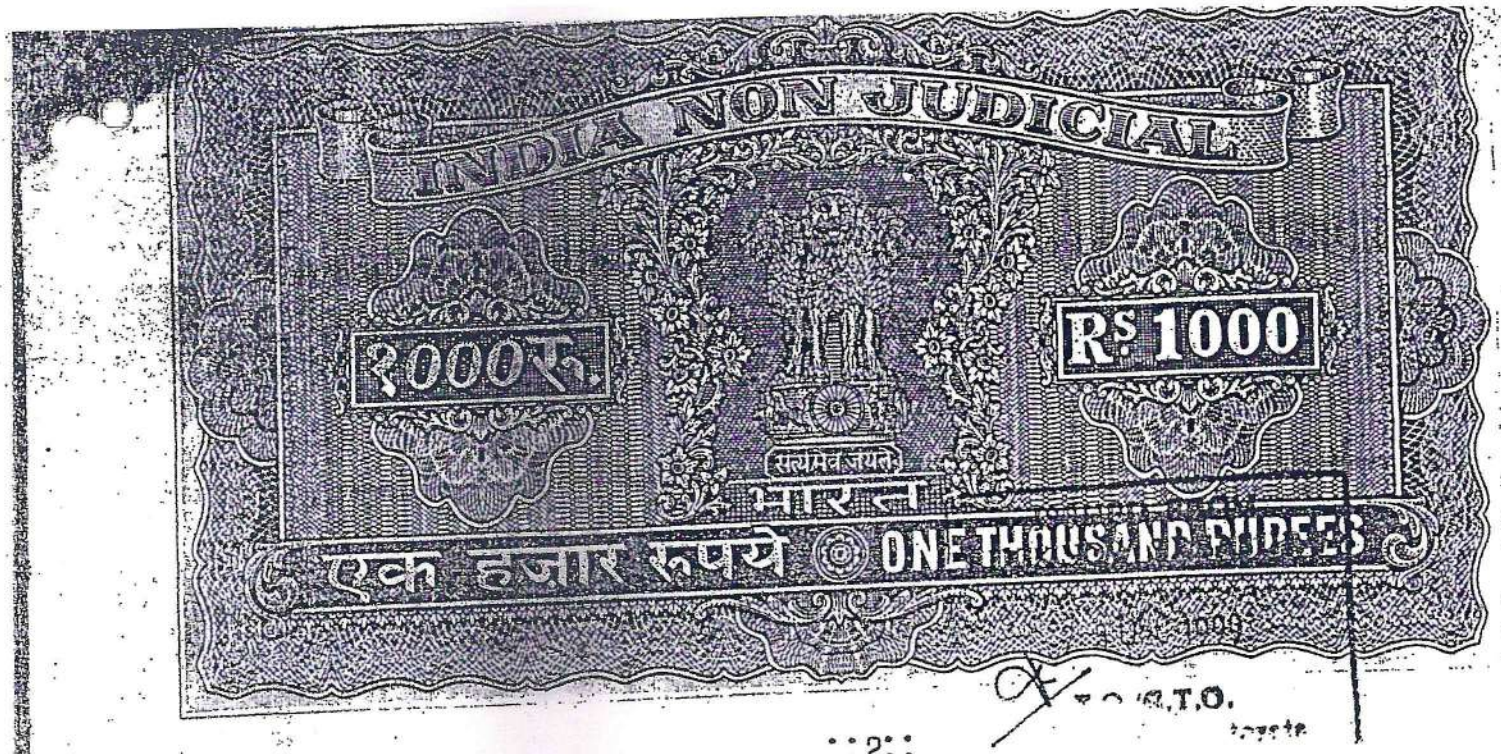

जोकि बिक्रेता ने हिस्सा दो बटा तीन §2/3§ बाबत आराजी - भूमिधरी खसरा नम्बरी-174 §एक सौ चौहत्तर§, तादादी छः §6§बीघा सात §7§बिस्वान्सी अर्थात 1·522 हेक्टेयर, वाके ग्राम उत्तरधौना, परगना व तहसील व जिला लखनऊ को जरिए बयनामा रजिस्ट्रीशुदा दिनांक 23/8/199 श्री छोटेलाल व श्री शंकरलाल से खरीद किया है, जिसकी फोटोस्टेट प्रति पुर संख्या-एक, खण्ड-4613, पृष्ठ-145/150, क्रम संख्या-864 पर दिनांक - 1/2/1999ई0 को कार्यालय उपनिबंधक §प्रथम§,लखनऊ में रजिस्ट्रीकृत की गई उक्त आराजी हिस्सा दो बटा तीन§2/3§ का रकबा चार§4§बीघा दो§2 बिस्वान्सी सात§7§कच्चान्सी होता है, जिसका दाखिल खारिज कागजात सरकारी में बिक्रेता के नाम हो गया है, जो बिक्रेता के कब्जे व दखल मा

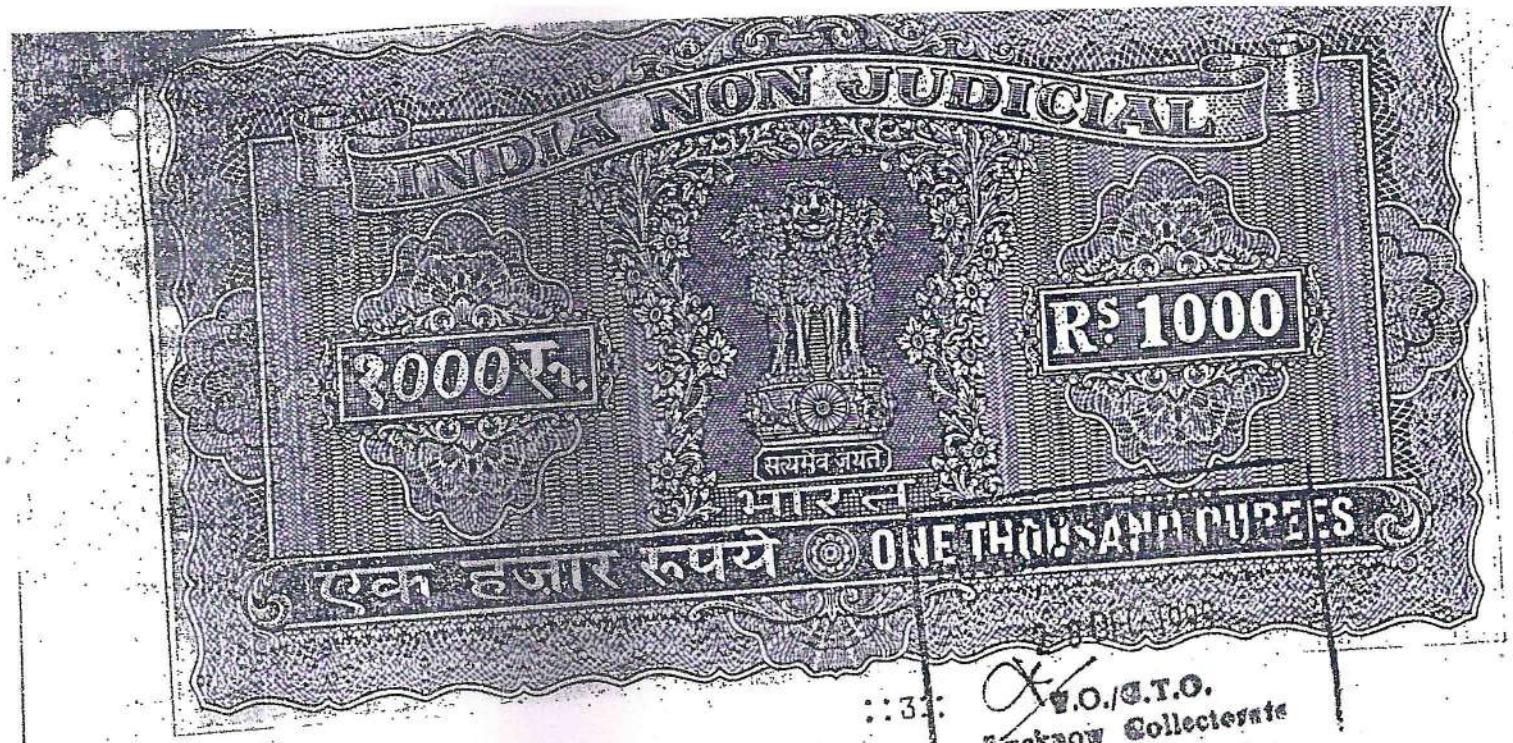

::3::

D.O./G.T.O.
Lucknow Collectorate

ना में मौजूद है और हर प्रकार के विवादों जैसे रेहन व बय व हिबा व जमानत व कुर्की व डिग्री व ऋण वगैरह से पूर्णतया मुक्त है । अब बजरूरत खुद बिक्रेता ने उसी हिस्सा दो बटा तीन(2/3) आराजी रकबा चार(4)बीघा दो(2)बिस्वा सात(7)कववान्सी में से एक बटा चार(1/4)भाग अर्थात सम्पूर्ण आराजी खसरा नम्बरी-174, तादादी छः(6)बीघा सात(7)बिस्वान्सी के एक बटा छः(1/6 भाग को मय तमामी हक व हुकूक बिना छोड़े किसी चीज व हक के दुरुस्त हो हवास में खूब सोच व समझ कर बिना किसी अनुचित दबाब के अपनी खुशी एव रजामन्दी से बिलएवज मुबलिग 75,000/-रुपया (पचहत्तर हजार रुपया) वि आये जिसके मुबलिग 37,500/-रुपया (सैंतिस हजार पाँच सौ रुपया) होते श्री अखिलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री एच0 पी0 गुप्ता, निवासी भवन संख्या-4

T.O./G.T.O.
Lucknow Collectorate

विशालखण्ड, गोमतीनगर, शहर लखनऊ (क्रेता) के बय कामिल व फरोख्त कतः किया और कुल बिक्रय मूल्य अन्त में दिए हुए विवरण अनुसार उक्त क्रेता से प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बिक्रीशुदा पर आज की तारीख से उक्त क्रेता का बखूबी करा दिया, अब बिक्रेता का कोई दावा व हक निस्बत आराजी बिक्रीशुदा व वसूलयोबी बिक्रय मूल्य के उक्त क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई दावा करे तो वह बिलकुल नाजायज होवे, और अगर आराजी बिक्रीशुदा की हकीयत व मिलकियत के बारे में कोई झग निकले या आराजी बिक्रीशुदा कहीं रेहन व बय व हिबा आदि पायी जाये तो ऐसी सूरत में उक्त क्रेता को अधिकार होगा कि अपना कुल बिक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा व नुकसान बिक्रेता व बिक्रेता की अन्य जायदाद चल व अचल

T.O./C.T.O.
Lucknow Collectorate

से जरिए अदालत मय खर्चा के वसूल कर लेवें, बिक्रेता को कोई उज्र व आपत्ति नहीं होगी ।

मुसल्लम आराजी का लगान 37/-रुपया 60 पैसा सालाना है, जिसके 1000 (एक हजार) गुने के अनुसार मुसल्लम आराजी की मालियत मुबलिग 37,600/-रुपया होती है ।

परगना लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कृषि भूमि की बाजा कीमत बहिसाब 1,50,000/-रुपया प्रति एकड़ अर्थात 93,750/-रुपया प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार सम्पूर्ण आराजी तादादी छः (6) बीघा

सात‡7‡बिस्वान्सी की मालियत मुबलिग 5,64,140/= रुपया 62 पैसा होती इस तौर से हिस्सा एक बटा छः‡1/6‡ भाग आराजी बिक्रीशुदा की मालियत मुबलिग 94,023/= रुपया 44पैसा होती है । जिस पर नियमानुसार जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है ।

आराजी बिक्रीशुदा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है ।

आराजी बिक्रीशुदा में कोई पेड़ या निर्माण या कुआँ व ट्यूबवेल व नहीं है ।

आराजी बिक्रीशुदा काश्त होती है और बगरज काश्त बय की ज रही है ।

आराजी बिक्रीशुदा के कुल लगान वगैरह आज की तारीख तक अदा व बेबाक हैं, अगर आज की तारीख तक आराजी बिक्रीशुदा के कोई लगान वगैरह बकाया होंगे तो उनके अदा करने की जिम्मेदारी बिक्रेता पर रहेगी आज की तिथि के पश्चात उक्त क्रेता आराजी बिक्रीशुदा के लगान वगैरह अदा करें, इसमें बिक्रेता व उत्तराधिकारी बिक्रेता को कोई उज्र व आपत्ति नहीं होगी ।

क्रेता को अधिकार है कि वह आराजी बिक्रीशुदा का दाखिल खारिज सरकारी अभिलेखों में अपने नाम करा लेवें तथा आराजी बिक्रीशु के लगान वगैरह अदा करें इसमें बिक्रेता व उत्तराधिकारी बिक्रेता को

या भविष्य में कोई उज्र व आपत्ति नहीं होगी ।

क्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है ।

विक्रेता ने आराजी बिक्रीशुदा को बाबत कोई इकरारनामाबर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में रजिस्ट्रीशुदा या बिला रजिस्ट्रीशुदा नहीं किया है ।

आराजी बिक्रीशुदा नगर निगम तथा नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत नहीं आती है ।

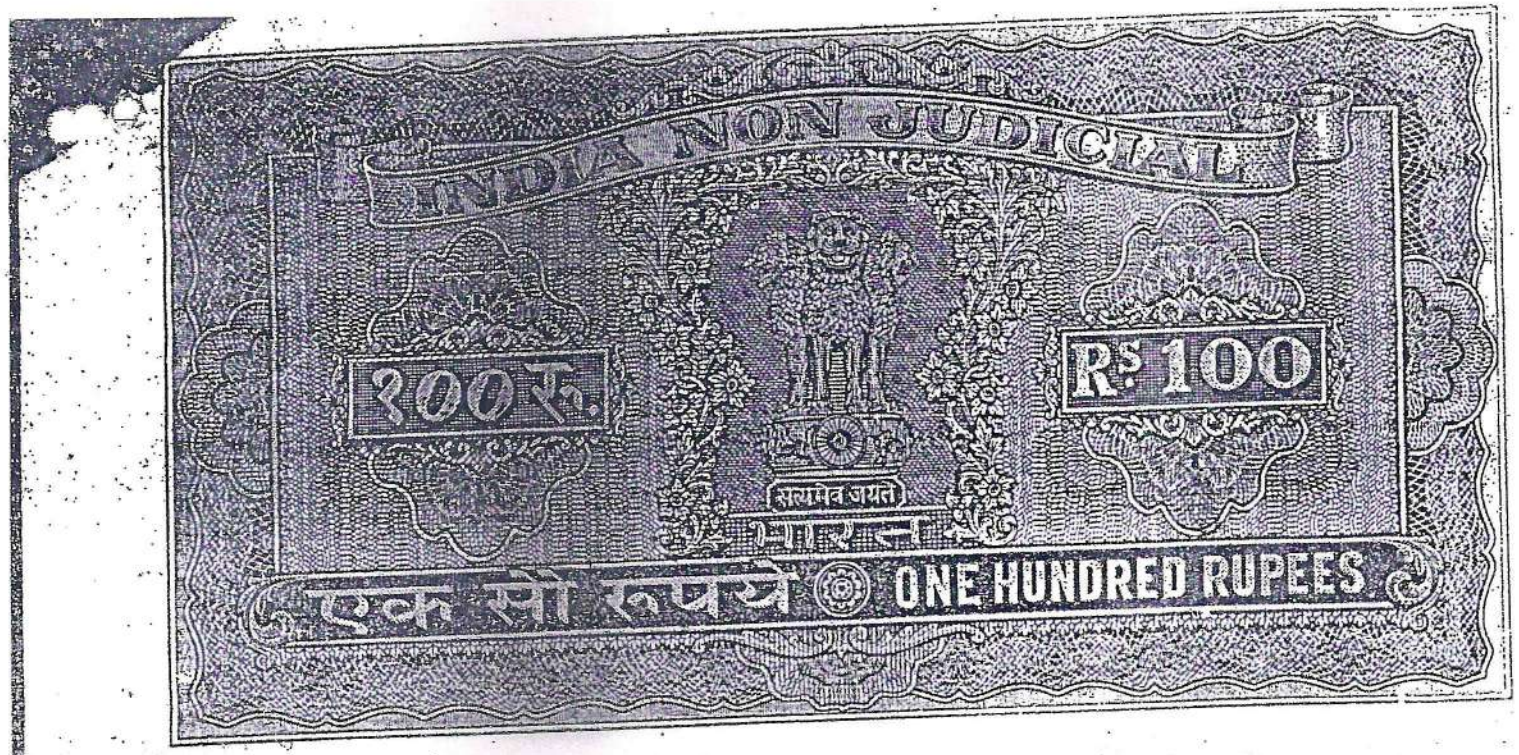

लिहाजा यह दस्तावेज "बिक्रयमत्र" बिक्रेता ने अपनी खुशी एवम् रजामन्दी से बिना किसी अनुचित दबाब के दुरूस्त होश हवास में खूब सोच व समझ कर बहक क्रेता श्री अखिलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री एच0 पी0 गुप्ता के लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे ।

चौहद्दी सम्पूर्ण आराजी खसरा नम्बर-174 :—

पूरब :— नाला ।

पश्चिम :— आराजी खसरा नम्बर-169 व 173.

दक्षिण :— सड़क फैजाबादरोड ।

उत्तर :— नाला ।

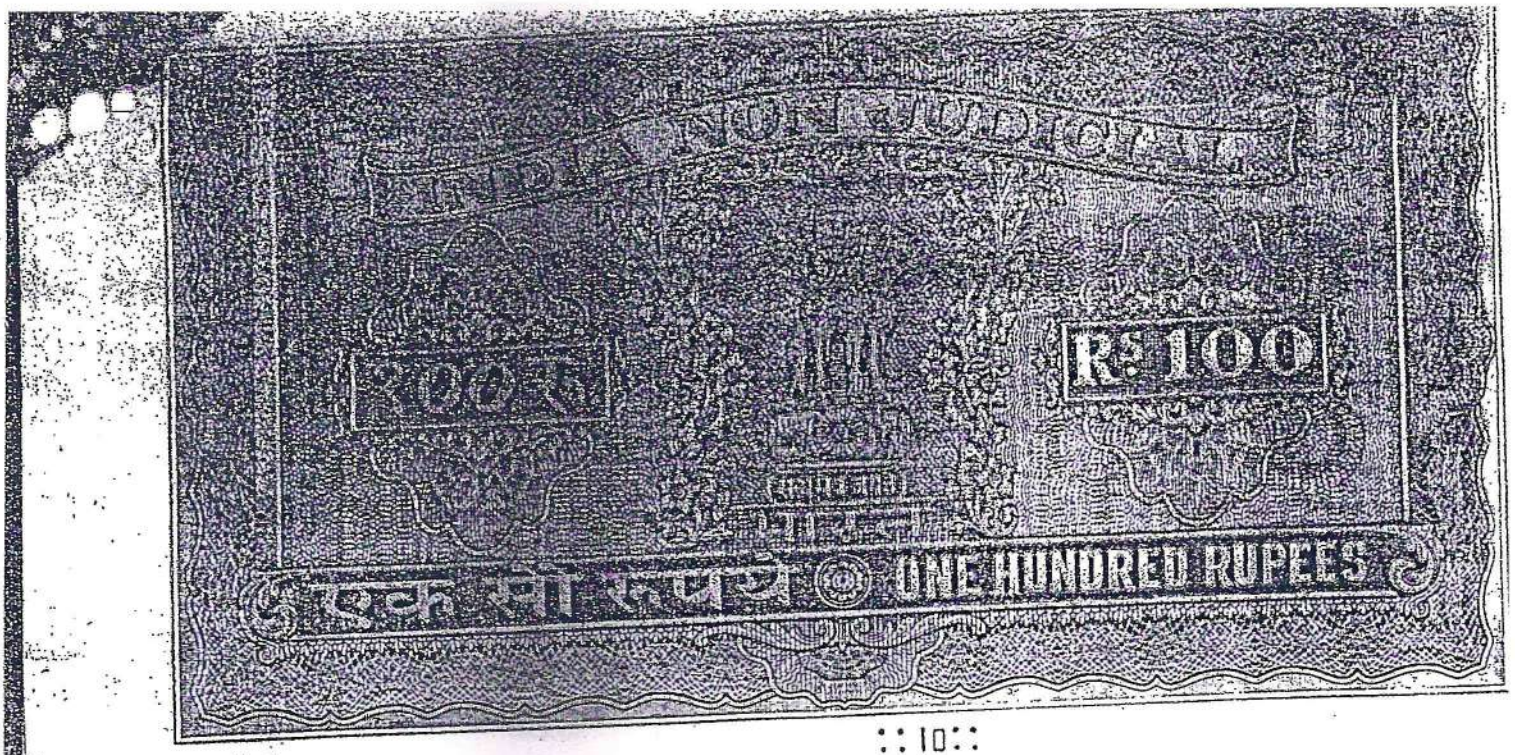

::— विवरण प्राप्ति विक्रय धनराशि मुबलिग 75,000/= रुपया —::

विक्रेता ने क्रेता महोदय से कुल विक्रय मूल्य नकद प्राप्त किया मु0 75,000/= रुपया (पचहत्तर हजार रुपया) ।

अब विक्रेता को क्रेता महोदय से कोई धनराशि प्राप्त करना शेष नहीं रही है ।

———:::———

हस्ताक्षर विक्रेता

लखनऊ : दिनाँक
4/जनवरी/2000ई0

साक्षीगण :—

(1) मकबूल अहमद पिता नज़ीर अली
पता:- चिनहट, लखनऊ

हस्ताक्षर क्रेता

(2) एन. के. वर्मा
पता:- मड़ियाँव लखनऊ

टाईपकर्ता:-

दस्तावेज लेखक का नाम [illegible] श्रीवास्तव
अनुज्ञप्ति संख्या-3 दि० 31.3.2001 तक विधिमान्य
जिला और स्थान लखनऊ
ली गई फीस 150/-

2017 4-1-2000

क्र. स. .... दिनांक

कीमत 1002 नाम अखिलेश कुमार पुत्र ... प्रसाद श्रीवास्तव

पता ....

द्वारा ....

संजय निगम स्टाम्प विक्रेता

एव रजिस्ट्रार कार्या.ला.नं. 76, लखनऊ

4-1-2000

2880

281/2000

69